न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–105/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00079)

1. गोपालसिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुढागौडजी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. सुनीता कॅवर पत्नी श्री गोपाल सिह, जाति राजपूत, निवासी गुढागौडजी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

–– रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 27.06.18

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 26.02.2016 (प्रकरण संख्या 02/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदार ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कतई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त वसीयत दिनांक 06.10.1997 के आधार पर सक्षम सिविल न्यायालय से ही स्वयं को उत्तराधिकारी घोषित करवा सकती थी, न कि तहसीलदार को ऐसे दस्तावेजात के आधार पर किसी को खातेदारी प्राप्त करने का आदेश देने सम्बन्धी कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है इस कारण भी आज्ञा जैन अपील निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने मृतक तोपकंवर पत्नी श्री जगन्नाथ सिंह वसीयतकर्ता के बारे में यह भी जॉच नही की गयी कि उक्त कृषि भूमि उसकी स्वअर्जित भूमि है अथवा पैतृक भूमि है। जबकि यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि थी जिसकी वसीयत करने सम्बन्धी तोपकंवर को कानूनन कोई अधिकार ही नही था, ऐसी स्थिति में फर्जी वसीयत के आधार पर तहसीलदार ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश देने में गंभीर कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने नामान्तरकरण सम्बन्धी आदेश पारित करने से पूर्व राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 121(4) की भी कोई कतई पालना नही की है, तहसीलनदार ने अन्य वारिसान के नोटिस ही जारी कर दिये थे तथा अखबार में भी नोटिस साया करा दिये गये थे तो ऐसी परिस्थिति में भी बिना आवश्यक पक्षकारों को सुंने ही आदेश पारित किये गये है जो जैर अपील अवैध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार ने अन्य पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियॉ दिनांक 08.10.15 की भी कोई समीक्षा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

एवं विधिवत जॉच नही की तथा न ही शपथ पत्रों का भी कोई विधिवत परीक्षण ही किया गया इस कारण भी आज्ञा जेर अपील पूर्णतया विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.03.2018 को रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके पर आकर यह धमकी देने पर कि मैने तो उक्त भूमि का दिनांक 26.02.2016 को ही वसीयत के आधार पर अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली है तथा अब मैं ही इस भूमि की मालकिन हूॅ जिस पर दिनांक 15.03.2016 को अपीलान्ट ने उदयपुरवाटी जाकर वकील से मिलकर तहसील कार्यालय में उक्त फाईल का पता लगा कर नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 15.03.2016 को पेश किया तथा दिनांक 16.03.2018 को नकल प्राप्त हुई जिस पर अपील अपीलान्ट जानकारी की दिनांक से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने हुआ विलम्ब लापरवाहीवंश न होकर बल्कि सद्भावनावंश जानकारी के अभाव में हुआ जो क्षमा किया जाना आवश्यक है जिसके लिये अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर आज्ञा जेर अपील तहसीलदार उदयपुरवाटी दिनांक 26.02.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः विधिवत जॉच हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रतिप्रेषित फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी की खातेदार तोपकंवर पत्नी जगन्नाथ सिंह राजपूत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे रजिस्टर्ड वसीयत पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 8 पृष्ठ संख्या 112 क्रम संख्या 31 दिनांक 08.10.97 को उप पंजीयक उदयपुरवाटी द्वारा एक वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में की गई है। उन्होने कथन किया है कि वसीयतकर्ता का दिनांक 06.05.14 को मृत्यु हो चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाने की कानूनन अधिकारी है जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक कार्यवाही करते हुए एवं उभयपक्ष के बयानादि लेकर एवं सुनवाई का अवसर देते हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार द्वारा की गई उक्त रजिस्टर्ड वसीयत किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शुन्य घोषित नही किया गया है, ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर पारित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.2016 को अवैध नही ठहराया जा सकता है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी शुरू से ही रही है लेकिन

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उन्होने जानबुझकर रेस्पोडेन्ट को हैरान परेशान करने की गरज से मियाद बाहर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है जो मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी की खातेदार तोफकंवर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष दिनांक 08.10.1997 को रजिस्टर्ड वसीयत की गई है तथा अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात पेश नही किये गये जिससे उक्त रजिस्टर्ड वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.16 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2018 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।